CNR No–UPME010032022026
ADJ Court No–18, Meerut.

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या– 18, मेरठ।
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–889 सन् 2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या– 1125 सन् 2026
सी०एन०आर०नं०–UPME010032022026

1– आशीष उर्फ कल्लू पुत्र श्री देवेन्द्र
निवासी– ग्राम मुजक्कीपुर पचगांव थाना परतापुर, जिला मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार । .....अभियोजन।

मुकदमा अपराध संख्या –107/2026
धारा–309(4), 317(2), 61(2) बी०एन०एस
थाना– परतापुर, जिला मेरठ।

दिनांक–17.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त आशीष उर्फ कल्लू पुत्र श्री देवेन्द्र की ओर से मु०अ०सं० 107/2026 अन्तर्गत धारा 309(4), 317(2), 61(2) बी०एन०एस, थाना परतापुर, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त केस में निर्दोष हैं तथा उसे उक्त केस में थाना परतापुर की पुलिस द्वारा बिना किसी उचित साक्ष्य एवं आधार के गलत नामजद किया गया है। उक्त मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा वादी द्वारा दिनांक 23.02.2026 को अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त की कोई नामजदगी नहीं है। थाना परतापुर की पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त से उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित कोई विषय वस्तु बरामद नहीं की गयी है बल्कि झूठी कहानी बनाने के उद्देश्य से प्रार्थी/अभियुक्त की बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाये झूठी बरामदगी दर्शाते हुए वादी पक्ष से साज करके कुछ रूपयों की गलत बरामदगी दिखाई है जिसके सम्बन्ध में जनता का कोई स्वतन्त्र साक्षी पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त मुकदमें के किसी अन्य अभियुक्त से कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त का किसी अन्य अभियुक्त के साथ मोटर साइकिल पर जाने व किसी घटना को अन्जाम देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी/अभियुक्त ने थाना परतापुर की पुलिस के समक्ष उक्त मुकदमें की

कथित घटना में शामिल होने का कोई इकबालिया बयान नहीं दिया है। पुलिस द्वारा जो फर्द बरामदगी तैयार करते समय प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इकबालिया बयान देने का वर्णन किया गया है, उक्त कहानी पुलिस द्वारा मुकदमें को रंगत देने की गरज से झूठी बनाई गयी है। उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.02.2026 से जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह कोई सजायाफ्ता अपराधी है। प्रार्थी/अभियुक्त सम्मानित परिवार का सदस्य है इसलिये उसका उक्त मुकदमें में जमानत प्राप्त करने के पश्चात न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर भागने का कोई अन्देशा नहीं है। उक्त मुकदमें में न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2026 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के पिता देवेन्द्र पुत्र श्री नन्दू द्वारा उपरोक्त मुकदमें में प्रस्तुत प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिये श्री कुलदीप दत्त शर्मा एडवोकेट मेरठ को अधिवक्ता नियुक्त किया गया है और उन्हीं के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त मुकदमें में जमानत प्राप्त करने के पश्चात अभियोजन पक्ष के गवाहान को डरा धमकाकर या लालच देकर दूषित करने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु अपनी उचित एवं स्वच्छ प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने के लिये तैयार है। अतः दौरान मुकदमा उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी है तथा प्रार्थनापत्र के समर्थन में **देवेन्द्र** का शपथपत्र संलग्न है।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार संक्षेप में कथन है कि दिनांक 23.02.2026 को वादी मुकदमा, कम्पनी का फाइनेन्स का पैसा कलेक्शन मुजक्कीपुर से करके इकला ग्राम अपनी बाईक जिसका नं० UP15DR2050 से जा रहा था। जब वादी मुकदमा समय करीब 11.30 बजे मुजक्कीपुर चौराहे से पहले पहुंचा तभी बाइक पर दो लड़के आये जिनका नाम पता अज्ञात वादी मुकदमा की बाइक रोक कर उसके द्वारा कलेक्शन किये हुए करीब 65,000/– रुपये जो उसके बैग में थे, वे लोग वादी मुकदमा का पैसे वाला बैग छीन कर भाग गये।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध कर तर्क दिया गया कि अभियुक्त ने मुकदमा उपरोक्त में आपराधिक षडयन्त्र कारित कर वादी मुकदमा की बाइक रोककर उसके बैग जिसमें 65,000/– रुपये थे, लूटने की घटना कारित की तथा पुलिस बल द्वारा अभियुक्त के कब्जे से प्रकरण से सम्बन्धित माल की बरामदगी की गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अन्ततः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. प्रस्तरवार आख्या दिनांकित 07.03.2026 थाना हाजा से प्राप्त है जो कि पत्रावली पर संलग्न है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अपराध कारित किया जाना बताया गया है,

जिसके पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने के पश्चात उसके द्वारा फरार होने, गवाहों को डराने व धमकाने का पूर्ण अंदेशा होना बताया गया है।

6. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया है कि वह निर्दोष हैं तथा उसे उक्त केस में थाना परतापुर की पुलिस द्वारा बिना किसी उचित साक्ष्य एवं आधार के गलत नामजद किया गया है। उक्त मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा वादी द्वारा दिनांक 23.02.2026 को अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। बरामदगी के सम्बन्ध में जनता का कोई स्वतन्त्र साक्षी पेश नहीं किया गया है। अभियोजन कथानक अनुसार अभियुक्त पर आपराधिक षडयन्त्र कारित कर वादी मुकदमा के बैग, जिसमें 65,000/– रुपये थे, को लूटने तथा प्राप्त सम्पत्ति को बेईमानीपूर्वक अपने पास रखने का आक्षेप है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है, जिसमें अभियुक्त नामजद नही है। सी०डी० प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि पुलिसबल द्वारा अभियुक्त के कब्जे से प्रकरण से सम्बन्धित माल की बरामदगी की गयी है, परन्तु उक्त के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से जनता के किसी स्वतंत्र गवाह के होने का कोई कथन नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दाखिल नहीं किया गया है। मामले के विचारण व निस्तारण में काफी समय लगने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता तथा अभियुक्त को प्राप्त जमानत के अन्तर्गत अभियुक्त की उपस्थिति का प्रश्न सुनिश्चित किया जाना है। अभियुक्त दिनांक 26.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

8. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1. प्रार्थी/अभियुक्त **आशीष उर्फ कल्लू पुत्र श्री देवेन्द्र** की ओर से मु०अ०सं० 107/2026 अन्तर्गत धारा 309(4), 317(2), 61(2) बी०एन०एस, थाना परतापुर, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाये।

1. यह कि अभियुक्त न्यायालय की अपेक्षानुसार नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित आयेगा।
2. यह कि अभियुक्त समान प्रकृति का कोई अपराध नहीं कारित करेगा।
3. यह अभियुक्त दौरान विचारण देश की सीमा से बाहर नहीं जायेगा।
4. यह कि अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को न तो तोड़ेगा और न ही अपने पक्ष में साक्ष्य देने के लिये कोई उत्प्रेरणा, वचन व धमकी या प्रलोभन देगा।

2. आदेश की एक प्रति email द्वारा संबंधित कारागार को भेजा जाये।

दिनांक 17.03.2026

(पूनम कर्णवाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या– 18, मेरठ।
जे०ओ० कोड UP 1799

This is uncertified copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only.

Digitally signed by POONAM KARANWAL
Date: 2026.03.17 15:44:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court